2.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी सं. 4 से 10 व 12 से एवं 16 के वकील उपस्थित। शेष की तलबी व मौका रिपोर्ट इंतजार।

विप्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली का पूर्वालोकन करते हुए उभय पक्ष को सुना गया।

विप्रार्थीगण के वकील की बहस है कि भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व ग्राम भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा, तहसील सिणधरी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8,9/1,19,20/1, 21, 22, 24,24/1 व 24/2 में से होकर गुजरने वाले क़दिमी मार्ग को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण में सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार भाटा–मीठा सड़क से भाटा मोड़सिंह विद्यालय तक पंहुचने की मंशा को लेकर प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कि वर्तमान में उक्त रास्ता बीच में विश्नोईयों की ढाणी तक ही रोक दिया गया है तथा खसरा नम्बर 19 जो कि सेढ़ा पडौसियों के विवाद की दशा में सींमांकन कार्यवाही हेतु विचाराधीन है को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन को निरस्त फरमाया जावे कि बाद सीमांकन के मौके पर विवाद रहित स्थिति होने की दशा में हम समस्त खातेदारन द्वारा अपनी–अपनी जोत का आमजन के हितार्थ विधिवत रूप से रास्ते के रूप में भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करते हुए दी जायेगी।

इसके विपरित पैरोकर सरकार की बहस है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि मौके पर कदीमी रास्ता है अथवा नहीं। लिहाजा मौका रिपोर्ट की तलबी पश्चात् गुणावगुण के निर्णय पारित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:37 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थी के पैरोकार की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र में भ्रमण मौका स्थिति के तथ्यों के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया जिसे मद्देनजर रखते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों तथा परिशिष्ट एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के परस्पर अद्यतन करते हुए मिलान करने पर पाया गया कि मौके पर कदीमी रास्ता पूर्व में अवस्थित था जो कि अधिकांश प्रकरण में अवस्थित पक्षकारान के आवागमन हेतु प्रयुक्त होता था, परन्तु वर्तमान में उक्त रास्ते के आवागमन को विशनोईयों की ढाणी तक ही खुला रखा गया है, उससे आगे बाधित कर रखा है। उक्त रास्ते को बाधित रखे जाने का मुख्य कारण खसरा नम्बर 19 के

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पक्षकारान की ओर से सीमांकन की विचाराधीन कार्यवाही पूर्ण नही होना है। इस सन्दर्भ में वक्त भ्रमण पीठासीन अधिकारी के ध्यान में भी लाया गया कि सीमांकन के विवाद की दशा में उक्त रास्ता बाधित है, यदि बाद सीमांकन के मेगवाल एवं कलबी समुदाय के बीच वाद विवाद के निपटारे उपरांत आपसी सहमति/ समझाईश से हस्तग्रत रास्ता प्रकरण पर विधिवत प्रकिया अमल में लाई जाकर समस्त सहखातेदार अपनी अपनी रजानुसार सुविधा के अनुरूप रास्ता देने की मंशा को ध्यान में रखते हुए यदि पक्षकारान की विधिवत रायसुमारी से रास्ता छोड़ा अथवा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे, तो अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तथा ग्रामीण परिवेश में लोगों के आपसी सदभाव एवं भाईचारे की कौमी एकता की मिसाल भी कायम रह सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अदालत यह उचित समझती है कि जब तक खसरा नम्बर 19 के खातेदार व उनके सेढ़ा पड़ौसी खातेदारों के बीच सीमांकन संबंधी दुरूस्ती का निपटारा नहीं हो तक तक विवादित रास्ता प्रकरण को ओर अधिक विवाद अथवा दुविधा के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाकर स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों को प्रतिपादित नहीं करने तथा मौका स्थिति अनुसार विवादग्रस्त होने तथा सींमांकन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसी स्तर पर खारिज किया किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:37 IST
Reason: SelfAttested